BANE 143: भारत की जनजातीय संस्कृतियाँ

अनुशिक्षक चिंहित सत्रीय–कार्य

(TMA)

कोर्स कोड: बीएएनई 143

असाइनमेंट कोड: बीएएनई 143/ASST/TMA/ जुलाई 2026 और जनवरी 2027

कुल अंक: 100

सत्रीय कार्य में तीन अनुभाग हैं। आपको सभी अनुभागों में सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।

सत्रीय कार्य – I

निम्नलिखित में प्रत्येक के बारे में 500 शब्दों में उत्तर दें। **2x20=40**

क. जनजाति की परिभाषा दीजिए। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की विवेचना कीजिए।

ख. भारत में रचनात्मक तथा मूल्यांकनात्मक चरणों के दौरान लिखे गए जनजातीय मोनोग्राफों का परीक्षण कीजिए।

सत्रीय कार्य – II

निम्नलिखित में प्रत्येक के बारे में 250 शब्दों में उत्तर दें (लघु टिप्पणियाँ लिखें)। **2x10=20**

क. भारत की जनजातियों के प्रवासन एवं ऋणग्रस्तता से संबंधित मुद्दों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

ख. औपनिवेशिक काल में भारत की वन नीतियों तथा उनके जनजातियों पर पड़े प्रभावों का उपयुक्त उदाहरणों सहित मूल्यांकन कीजिए।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 75 शब्दों में दीजिए। **5×2=10**

क. जनजातीय महिलाएँ एवं शिक्षा

ख. विस्थापन एवं पुनर्वास

ग. झारखंड आंदोलन

घ. एम. एन. श्रीनिवास एवं संस्कृतिकरण

ङ. प्रथागत विधि

सत्रीय कार्य – III

क. यह प्रस्तुत करने के लिए एक शोध–रूपरेखा तैयार कीजिए कि आप किसी घुमंतू समुदाय में नृवंशविज्ञान संबंधी शोध किस प्रकार करेंगे। अपनी शोध–रूपरेखा में अध्ययन की प्रासंगिकता पर विशेष बल देते हुए अध्ययन इकाई के चयन का औचित्य स्पष्ट कीजिए। **20**

ख. सत्रीय कार्य– III (क) में प्रस्तावित शोध–रूपरेखा के संदर्भ में आँकड़ों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण तथा प्रतिवेदन (रिपोर्ट) लेखन पर चर्चा कीजिए। **10**

क. जनजाति की परिभाषा दीजिए। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की विवेचना कीजिए।

उत्तर

जनजाति ऐसे सामाजिक समुदाय को कहा जाता है जिसके सदस्यों में ऐतिहासिक पहचान, सामाजिक संबंधों, सांस्कृतिक परंपराओं और सामुदायिक जीवन का एक निश्चित स्तर पर साझापन मिलता है। अनेक जनजातीय समुदायों की अपनी भाषा या बोली, रीति-रिवाज, पारंपरिक संस्थाएँ, रिश्तेदारी व्यवस्था तथा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के तरीके होते हैं। कुछ समुदायों का संबंध विशेष भौगोलिक क्षेत्र से लंबे समय तक रहा है, जबकि कुछ घुमंतू या अर्ध-घुमंतू हैं। इसलिए केवल जंगल में निवास करना, किसी एक व्यवसाय में लगे रहना या आधुनिक तकनीक से दूर रहना जनजाति होने की अनिवार्य शर्त नहीं है।

जनजाति की अवधारणा और भारतीय संदर्भ

मानवविज्ञान में जनजाति का अध्ययन उसके आंतरिक सामाजिक संगठन, जीवनयापन, सांस्कृतिक परंपरा और दूसरे समुदायों के साथ संबंधों को ध्यान में रखकर किया जाता है। पहले कई विद्वान जनजातीय समाज को अपेक्षाकृत पृथक और सरल समाज मानते थे, पर आज यह धारणा पर्याप्त नहीं है। अधिकांश भारतीय जनजातियों का किसान समुदायों, बाजार, प्रशासन, विद्यालय तथा शहरी क्षेत्रों से पुराना संपर्क रहा है। उनके समाजों में भी आर्थिक असमानता, राजनीतिक नेतृत्व, धार्मिक परिवर्तन और नई आकांक्षाएँ मौजूद हैं। इसीलिए किसी समुदाय को स्थिर या एकरूप संस्कृति वाला मानने के बजाय उसके इतिहास और बदलती परिस्थितियों को समझना आवश्यक है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना की व्यवस्था है। अनुसूचित जनजाति एक संवैधानिक-प्रशासनिक श्रेणी है, जिसे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संदर्भ में अधिसूचित किया जाता है। यह समझना जरूरी है कि मानववैज्ञानिक अर्थ में ‘जनजाति’ और सरकारी सूची की ‘अनुसूचित जनजाति’ पूर्णतः समान अवधारणाएँ नहीं हैं। किसी समूह का नाम, उसकी स्थिति तथा सरकारी सुविधाओं की पात्रता संबंधित अधिसूचना और कानून से निर्धारित होती है।